13.00 hrs.

श्री शिंकरे (पंजिम) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान काल में राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी संयम और कर्मठ निष्ठा दुर्लभ चीजें बन गई हैं। ऐसी भावना जनता में फैल रही है कि आज के आयाराम और गयाराम के जमाने में जो अपनी निष्ठायें बेच नहीं सकता या लम्बी-चौड़ी घोषणायें नहीं कर सकता वह राजनीतिक क्षेत्र के नाम के लायक भी नहीं होता है।

ऐसी परिस्थिति में जब इस सदन में स्वर्गीय श्री काकासाहेब राणे की मूर्ति और उनके आचार-विचार मैं देखता था तो मुझे मूर्तिमन्त संयम और निष्ठवतता का साक्षात्कार मिलता था। रिक्त घट की आवाज ज्यादा होती है लेकिन भरे घट की आवाज सुनाई ही नहीं देती। श्री राणे एक श्रेष्ट वर्ग के संयमी पार्लियामेंटेरियन थे। 1946 से वे संसदीय क्षेत्र में बहुमूल्य कार्य कर रहे थे। पहले महाराष्ट्र विधान सभा में और बाद में लोक सभा में उन्होंने डिप्टी चीफ ह्विप का काम किया और मुझे विश्वास है कि उनका योगदान बहुमूल्य था।

किसान के कुटुम्ब में उनका जन्म हुआ था। वह समाज की समस्याओं को अपने अनुभव से जानते थे इसलिए उन्होंने किसानों के लिये आस्था से काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका कार्य बहुमूल्य था। अपनी जलगांव कांस्टिटुएन्सी में वे बहुत सी शिक्षा संस्थाओं में कार्य करते थे।

मैं यहां एक मुद्दई की बात कहना चाहूँगा, और वह यह जैसा मैंने उल्लेख किया, कि वह बहुत संयमी नेता थे, संयमी पार्लियामेंटेरियन थे तथा निष्ठावान भी थे। जब द्विभाषिक बम्बई राज्य के विभाजन का प्रश्न आया और महाराष्ट्र तथा गुजरात दो राज्यों के बनाने की योजना थी, तब वे महाराष्ट्र के ऐसे एक कांग्रेस नेता थे जिन्होंने द्विभाषिक बम्बई राज्य को तोड़ने का विरोध किया था।

आज भी मैं देखता हूं कि जब महाराष्ट्र के बहुसंख्यक कांग्रेस संसद सदस्य रूलिंग कांग्रेस में बैठे हुए हैं तब वह अपोजीशन कांग्रेस में बैठते थे। उनके विचारों का मूल्यांकन मैं नहीं करता हूँ, मगर निष्ठा और संयम के नाते जो उनके गुण है उनका आदर करते हुए मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ।

MR. SPEAKER : Now, we shall stand for a short while in memory of the departed Members.

The Members then stood in silence for a short while.

13.03 hrs.

POINTS OF ORDER

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया आज की बैठक में हम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सभा-पटल पर रखते हैं और अपनी कार्रवाई समाप्त कर देते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आज हम सामान्यकाल में नहीं रह रहे हैं। देश में एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई है, और उस असामान्य स्थिति का परिचय हमें मिलता है उत्तर प्रदेश और बिहार में। वहां के राज्यपालों ने जिस तरह अपने पदों का दुरुपयोग किया है, संविधान की अवहेलना की है और संसदीय लोकतन्त्र को चोट पहुंचाई है हम उस पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा दो रूपों में हो सकती है। हमने काम-रोको प्रस्ताव दिये हैं। आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यह तर्क नहीं दिया जाना चाहिए कि क्योंकि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी इसलिए इस मामले को अलग से उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी दो दिन तक सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो रही है। यह मामला गम्भीर है और सार्वजनिक महत्व का

है । इसलिए आप इस पर काम-रोको प्रस्ताव स्वीकार करते हैं ।

दूसरा तरीका यह है कि आप बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलायें और उसमें इसके लिए समय तय करें । यह समय सोमवार या मंगलवार को होना चाहिए क्योंकि इस मामले पर अविलम्ब चर्चा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आज के दिन कोई काम नहीं होता । जो भी काम चलेगा वह सोमवार से चलेगा । माननीय सदस्य जो भी तरीका बतला रहे हैं उस दिन उस पर गौर कर लेंगे ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, असल में मैं तीन मुद्दे उठाना चाहता हूं । तीनों को एक साथ कह देने से समय बचेगा । मेरा सबसे पहला मुद्दा यह है कि अभी-अभी सैंट्रल हाल में राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित किया । उसमें ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति जी एक हिस्सा अंग्रेजी में पढ़ते थे और सचिव साहब हिन्दी में उसका अनुवाद पढ़ते थे । मेरी समझ में यह प्रक्रिया नहीं आ रही है । आपके संविधान में लिखा हुआ है और नियम में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सम्बोधित करेंगे । अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे या राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर पायेंगे तो उपराष्ट्रपति करेंगे यह सचिव बीच में कहां से आ गया, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । यह काम बिल्कुल संविधान के विपरीत हुआ है । अगर वह हिन्दी में नहीं पढ़ना चाहते थे तो श्री गोपाल स्वरूप पाठक उप-राष्ट्रपति के नाते यह काम कर सकते थे । इसलिए यह बहुत गैर-मुनासिब बात हुई है ।

मैं इसके साथ-साथ अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे ज्यादा खुशी होती अगर श्री गिरि अपनी मातृ-भाषा तेलगू में भाषण करते । मैं हिन्दी की बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूं । तो मेरा पहला मुद्दा यह है कि क्या यह संविधान के विपरीत नहीं हुआ है ? आप भी उस समय मौजूद थे, इसलिए मैं यह सवाल उठा रहा हूं ।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि आज शुक्रवार है । जबसे मैं यहां आया हूं, मैंने देखा है कि हमेशा पार्लियामेंट का सत्र सोमवार से शुरू होता था । पांच दिन हम काम करते थे और दो दिन छुट्टी मनाते थे । मेरी समझ में नहीं आया कि इस बार शुक्रवार को क्यों राष्ट्रपति का अभिभाषण रखा गया । और मैंने जो अजेंडा देखा है उससे ऐसा मालूम होता है...

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : ज्योतिषी की सलाह से ऐसा हुआ है ।

श्री मधु लिमये : आज जो अजेंडा है उससे ऐसा लगता है कि आज कोई ज्यादा काम होने वाला नहीं है । मेरा खयाल है कि श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने इस सवाल को चार साल पहले उठाया था । यह बात सही है कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट को प्रधान मन्त्री की सलाह पर बुलाते हैं, लेकिन इस मामले में यह तय हुआ है कि अध्यक्ष महोदय से भी अनौपचारिक रूप से सलाह मश्वरा किया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या शुक्रवार का दिन तय करते समय आपसे पूछा गया था ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तीन दिनों तक जो 51 रु० रोज सदस्य बिना काम किये हुए लेंगे क्या उसका कोई स्पष्टीकरण हम हिन्दुस्तान के लोगों को दे सकते हैं ?

तीसरी बात वह जो अभी श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कही ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह असली बात है ।

श्री मधु लिमये : वह भी असली है और यह दोनों भी असली हैं । मैं उसके साथ अपनी भावना मिला देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव दिये गये हैं उनके ऊपर आज ही तत्काल बहस शुरू हो जाये । केरल में, मणिपुर में, उत्तर

[श्री मधु लिमये]

प्रदेश में और बिहार में जिस तरह से चीफ कमिश्नर और राज्यपालों के ऊपर दबाव डाला गया और उनसे जो गैर-मुनासिब और संविधान के खिलाफ काम करवाया गया उसके ऊपर बहस करने का मौका हमें आज ही मिलना चाहिए ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I have a small submission to make. Some points have been raised by my hon. friend.

MR. SPEAKER : They are points of orders.

SHRI S. M. BANERJEE : I have a submission to make.

MR. SPEAKER : On what ?

SHRI S. M. BANERJEE : Kindly hear me for a minute.

MR. SPEAKER : No, I am not going to allow any discussion.

राष्ट्रपति जी के भाषण के बारे में आपने जो कहा है, मुझे उसकी कांस्टीट्यूशनल या प्रोसीजरल पोजिशन के बारे में पता नहीं है । लेकिन मैं इसको देख कर बताऊंगा । आपने कहा है कि मैं डारेक्शन दे सकता हूं । मेरा नहीं खयाल कि स्पीकर डारेक्शन दे सकता है राष्ट्रपति जी को कि ऐसे होना चाहिये, ऐसे नहीं होना चाहिये । फिर भी अगर कहीं कोई डारेक्शन है तो मेरे नोटिस में ला देना, पूछ लेंगे । उन से मेरी तो हिम्मत नहीं है पूछने की ।

जहां तक डेट आफ सैशन का सम्बन्ध है मेरा अपना खयाल है कि आपका क्या हर्ज है .....

SHRI NATH PAI (Rajapur) : There is a difference between delivering an address and reading an address. Shri Limaye was referring to the specific duty enjoined on the President and the Vice-President.

MR. SPEAKER : The hon. Member is presuming that I was acting as the Speaker in the Central Hall and that I did not perform my duty with respect to the Rashtrapati. I fail to understand that argument.

As for the date of the session, it is fixed by the Government and the summons is issued through the President. I do not think the Speaker should have any objection to calling the session on any day or at any time.

एक माननीय सदस्य : एस्ट्रोलोजर से पूछ कर किया गया है ।

श्री मधु लिमये : यह ठीक कह रहे हैं कि किसी एस्ट्रोलोजर से, ज्योतिषी से, पूछ कर तय किया था ?

MR. SPEAKER : I was told that actually some members want two or three clear days to study the address and then have some discussion about it. I do not think there is anything wrong in it.

SHRI NATH PAI : Were you consulted ? That is the point.

MR. SPEAKER : I was duly informed.

SHRI NATH PAI : Informing is totally different from consultation. Was your consent obtained ?

MR. SPEAKER : I was informed before the session was called.

SHRI NATH PAI : By implication you are suggesting that you were not consulted.

MR. SPEAKER : When they inform me, it means that they want to know my views. I had no views in this case. So, they said "all right". The question of the adjournment motion we will consider on Monday.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : You have just now stated that some members approached the Government with the request that they want two clear days to study the President's Address. In that case, the discussion on the President's

Address should start on Monday. Now it is starting on Wednesday.

MR. SPEAKER : Perhaps, they now want more time for that.

13.14 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Proclamation re : Bihar

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B CHAVAN) : I beg to lay on the Table a copy of the Proclamation (Hindi and English versions) issued by the President on the 16th February, 1970 revoking the Proclamation issued by the Vice-President acting as President on the 4th July, 1969 in relation to the State of Bihar, published in Notification No. G.S.R. 236 in Gazette of India dated the 16th February, 1970 under clause (3) of article 356 of the Constitution. [*Placed in Library. See* No. LT—2516/70]

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : गृह मंत्री जी यह क्या कर रहे हैं ? चौबीस घंटे में गवर्नर की रिपोर्ट बदलती है। चौबीस घंटे पहले गवर्नर साहब कहते हैं कि कोई सरकार सम्भव नहीं है। यह क्या तमाशा हो रहा है ? अजीब बातें चल रही हैं।

Notification under Essential Services Maintenance Act

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING ; AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : On behalf of Shri K. K. Shah, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notification under sub-section (2) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 :—

(1) S.O 320 published in Gazette of India dated the 21st January, 1970 declaring the service connected with conservency and sewage disposal in the Union territory of Delhi to be an essential service for the purposes of Essential Service Maintenance Act, 1968.

(2) S.O. 321 published in Gazette of India dated the 21st January, 1970 containing order prohibiting strikes in any service in the Union territory of Delhi connected with conservancy and sewage disposal. [*Placed in Library. See* No. LT—2517/70]

Ordinances Promulgated during the period from 30th December, 1969 to 14th February, 1970

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances, under provisions of article 123 (2) (a) of the Constitution :—

(1) The Essential Commodities (Amendment) Continuance Ordinance, 1969 (No. 10 of 1969) (Hindi and English versions) promulgated by the President on the 30th December, 1969.

(2) The Haryana and Punjab Agricultural Universities Ordinance, 1970 (No. 1 of 1970) promulgated by the President on the 2nd February, 1970.

(3) The Calcutta Port (Amendment) Ordinance, 1970 (No. 2 of 1970) (Hindi and English versions) promulgated by the President on the 2nd February, 1970. [*Placed in Library. See* No. LT—2518/70]

(4) The Banking Companies (Acquistion and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1970 (No. 3 of 1970) (Hindi and English versions) promulgated by the President on the 14th February, 1970. [*Placed in Library. See* No. LT—2519/70]

ADVOCATES (SECOND AMENDMENT) BILL

Extension of time for presentation of Select Committee Report.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : I beg to move :

"That this House do extend the time appointed for the presentation of the